राजस्थान सरकार

कोरोना
अतिआवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/ 16433 दिनांक 23/11/2020

–: आदेश :–

जोधपुर जिले में कोविड–19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 33(2)गृह–9/2019 दिनांक 21 नवम्बर, 2020 तथा दिनांक 22 नवम्बर 2020 के अनुक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विवाह एवं अन्य राजनैतिक/ सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:–

- **विवाह कार्यक्रम** के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को कम से कम 3 दिन पूर्व लिखित में सूचना देकर उसकी रसीद प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। उक्त सूचना में आवेदक को अपना नाम, पता मोबाईल नम्बर सहित संबंधित कार्यक्रम स्थल, दिनांक, समय, संबंधित पुलिस थाना व अनुमानित मेहमानों की संख्या स्पष्ट रुप से उल्लिखित करनी होगी। इसके अतिरिक्त एक प्रति में सूचना संबंधित थानाधिकारी को कम से कम तीन दिन पूर्व आवश्यक रुप से दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा **विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिणक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक/जन कार्यक्रम** के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ आवेदन किया जाता है तो जोधपुर नगर–निगम उत्तर/दक्षिण क्षेत्र में नगर–निगम के संबंधित उपायुक्त तथा शेष जिला क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्वय का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निर्धारित शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे। ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर आवेदक इसकी एक प्रति कार्यक्रम से पूर्व संबंधित पुलिस थानाधिकारी को कम से कम तीन दिन पुर्व उपलब्ध करवाएंगे।
- विवाह संस्कार/ अन्य राजनैतिक/ सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रमों के लिय आवेदक को **निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी:–**

    1. *आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 अथवा अनुमति में अंकित संख्या से अधिक नहीं होगी।*
    2. *कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी। बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाए की दो व्यक्तियों के बीच में अनिवार्यतः 2 गज की दूरी रखी जा सके।*
    3. *फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "* ***नो–मास्क नो– एंट्री"*** *की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।*
    4. *आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान आवेदक द्वारा किया जाएगा।*
    5. *कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायगी।*
    6. ***प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कोनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा आने वाले प्रतिभागियों के नाम, मोबाईल नं तथा तापमान का रिकोर्ड रखा जाएगा। जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहा जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।***
    7. *ऐसे समारोह की आयोजक द्वारा* ***अनिवार्य रुप से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी*** *तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर उसकी एक प्रति निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।*
    8. *पर्यवेक्षण के दौरान राजकीय अधिकारी द्वारा अपनी तरफ से भी वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी जिसके दौरान आवेदक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।*
    9. *पुरे कार्यक्रम के दौरान अलग–अलग समय में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग प्रतिभागियों की अनुमत संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात् कार्यक्रम के समय बैचेस में बाट कर 100 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करना अनुमत नहीं होगा।*

10. कार्यक्रम के दौरान विविध सेवा यथा भोजन व्यवस्था, टेन्ट, लाईट, साउण्ड, बेण्ड, आदि उपलब्ध करवाने वाले कार्मिकों की प्रतिदिन **थर्मल स्केनर तथा लक्षण आधारित स्क्रीनिंग** करवाई जाएगी तथा संदिग्ध व्यक्तियों को किसी भी दशा में कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। उक्त व्यवस्था के लिए आयोजक के अतिरिक्त **संबंधित सेवा प्रदाता एजेन्सी भी उत्तरदायी रहेगी।** उक्त सेवाएं प्रदान करते समय मास्क, सेनेटाईजेशन व सोशल डिस्टेसिंग की पूर्णतया पालना करना अनिवार्य रहेगा।

11. **मैरिज हॉल/मैरिज गार्डन/होटल/रेस्टोरेन्ट/बेनक्वीट हॉल/सभागार आदि के संचालकों** का यह विशेष रुप से दायित्व होगा की वो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अपने भवन में नहीं होने देवे, जब तक की आयोजक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सूचना दी जाकर आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई हो। साथ ही उन्हे अपने स्तर से कार्यक्रम के आयोजक को प्रतिभागी व्यक्तियों की संख्या अनुमत सीमा से अधिक नहीं रखने के लिए पाबन्द करना होगा। यदि उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं होती है, कार्यक्रम बिना सूचना/अनुमति के आयोजित होता है, सोशियल डिस्टेसिंग के नोर्म्स की पालना नहीं होती है अथवा ऐसे संचालकों द्वारा एक ही आयोजन स्थल पर एक ही समय में एक से अधिक आयोजन करवाए जाते है, तो ऐसी दशा में **आयोजन स्थल की विधिक प्रावधानों के तहत सीजर तथा/अथवा जुर्माना की कार्यवाही का उत्तरदायित्व ऐसे संचालकों का होगा।**

विशेष ध्यातव्य तथ्यः— ऐसे कार्यक्रमो के भौतिक निरीक्षण अथवा वीडियोग्राफी के अवलोकन पर यह पाया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई है तो आयोजनकर्ता के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता के विविध प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी तथा निर्धारित शास्ती/जुर्माना वसुल किया जाएगा।

- संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में संभावित भीड—भाड से बचने के लिए ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए एक ई—मेल आई—डी निर्धारित कर उसका प्रचार—प्रसार करेंगे तथा अपने कार्यालय के बाहर भी सहज दृश्य स्थल पर भी चस्पा करेंगे।
- उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिनांकवार होने वाले विवाह कार्यक्रमों/ अन्य कार्यक्रमों की सूची एक्सल में निम्न प्रारुप में तैयार की जाएगी।

क्र.सं	आवेदक का नाम व मोबाईल नं	आवेदक का पता	कार्यक्रम स्थल	दिनांक व समय	पुलिस थाना	अनुमानित मेहमानो की संख्या

- यह सूची उपखण्ड मजिस्ट्रट प्रतिदिन सांय 05:00 बजे पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आयुक्त नगर—निगम उत्तर/दक्षिण, संबंधित थानाधिकारी तथा जिला कलक्टर कार्यालय स्थित कोविड कन्ट्रोल रुम (ईमेल आई—डीः— "coronacontrolroomjodhpur@gmail.com") को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- **संबंधित पुलिस उपायुक्त/ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** अपने अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा ऐसे कार्यक्रम स्थलो का दो बार निरीक्षण करवाएंगे। **प्रथम निरीक्षण** कार्यक्रम प्रारम्भ होने पर्याप्त समय पूर्व किया जाएगा, जिसके दौरान उपरोक्त शर्तो की पालना हेतु की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाएगा तथा आयोजक को इनकी पालना के लिए पुनः पाबन्द किया जाएगा। **द्वितीय निरीक्षण** कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा तथा उक्त शर्तो की पालना अथवा उल्लंघन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- जोधपुर नगर—निगम उत्तर/दक्षिण क्षेत्र में **संबंधित आयुक्त नगर—निगम** द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं पर दो बार निरीक्षण करवाने की व्यवस्था करेंगे।
- **संबंधित इन्सीडेन्ट कमाण्डर** द्वारा उस दिन होने वाले कम से कम दस प्रतिशत कार्यक्रमों का निरीक्षण करना होगा व पृथक से उसकी रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम को प्रस्तुत करेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित **उपखण्ड मजिस्ट्रेट** संबंधित पटवारी/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के शत—प्रतिशत निरीक्षण सुनिश्चित करवाएगें तथा स्वयं व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के मार्फत् विशेष रुप से अधिक भीड की संभावना वाले कार्यक्रमों का पृथक से निरीक्षण करवाएगें। की गई कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय में मेल आईडी "coronacontrolroomjodhpur@gmail.com" पर प्रेषित कर सुनिश्चित करेंगे।
- निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने की दशा में संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थाना महामारी अधिनियम 2020 के उपबंधो के अधीन शास्ती आरोपित की जाएगी तथा उपयुक्त प्रस्तुत होने पर अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करवाई जाएगी।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/16434-16533 दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/आसूचना/पुलिस उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय, जोधपुर
3. आयुक्त/समस्त उपायुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
5. अपर जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर-प्रथम, जोधपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर/ प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर/जिला रसद अधिकारी, शहर, जोधपुर।
6. समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डार/उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त विकास अधिकारी/समस्त थानाधिकारी जिला जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/प्राचार्य डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. निजी सहायक, गोपनीय शाखा, जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर/रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एवं अति.जिला कलक्टर
जोधपुर